न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील संख्या– अपील डिकी/टीए/2037/2005/जयपुर

1– भंवरलाल पुत्र कन्हैयालाल उर्फ काना जाति स्वामी निवासी ग्राम देवता तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती कृष्णा कंवर बेवा स्व0 केसर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देवता, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।

2– मु0 नन्जी पत्नी मोती सिंह मृतक जरिए वारिस

2/1– मुन्जी पुत्री नन्जी (मृतक) वारिस मगन सिंह पुत्र मंगल सिंह (पति)

2/2– माफू पुत्री नन्जी पत्नी मनोहर सिंह

जाति राजपूत निवासी प्लाट नं0 1 सत्य नगर झोटवाड़ा, जयपुर।

3– मु0 अनन्त कंवर पुत्री समर सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–

3/1– प्रताप सिह पुत्र अनन्त कंवर

3/2– कुंभीर सिंह पुत्र अनन्त कंवर

3/3– महावीर सिंह पुत्र अनन्त कंवर

3/4– प्रभु सिंह पुत्र अनन्त कंवर

सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम लूनसरा, तहसील जायल, जिला नागौर।

4– उच्छल कंवर पुत्री समर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देवता, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।

5– रामजीलाल पुत्र कन्हैयालाल उर्फ काना

6– बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल उर्फ काना

7– चौथमल पुत्र कन्हैयालाल उर्फ काना

जाति स्वामी निवासी ग्राम देवता, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः—

श्री एस.पी. सिंह व श्री विजेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट।

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः—09.01.2023

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 72/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25—02—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अपीलार्थीगण/वादीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली के न्यायालय में एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत् प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश होने पर दावा एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित कुल छः तनकीयात कायम की गई। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.03. 2002 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादीगण/अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जिन्होंने ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2005 के द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय दिनांक 25.02.2005 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4— अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, सबूत व रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना निर्णय व डिक्री पारित की है, जिसे निरस्त नहीं कर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पुनः वहीं गलती की गई है। अपीलांट वादीगण वादग्रस्त भूमि के वास्तविक खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण के वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट वादीगण का दावा डिक्री नहीं कर गलती की गई है, जिसे समझे बिना अपीलीय न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया है वह अंतर्गत अपील निरस्तनीय है। राज0काश्त0अधि0 लागू होने से पूर्व से ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का पिता काबिज काश्तकार था। मु0 सरलाबाई का नाम बिना किसी अधिकार के अवैध व गैर कानूनी रूप से दर्ज कर दिया गया। अपीलांट के खातेदार काश्तकार दर्ज होते हुए भी भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के तथा बिना सुनवाई का मौका दिए दिनांक 30.05. 1983 को मिसल संख्या 1267/068 के द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 नंबर 5 से 7 का नाम हटाने का नोट जमाबंदी पर दर्ज कर दिया गया। उक्त कार्यवाही सरासर अवैध व गैर कानूनी होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 30.05.1983 पत्रावली संख्या 1267/68 की नकल लेने हेतु आवेदन दिया गया, लेकिन रिकार्ड में ऐसी कोई पत्रावली नहीं होना जाहिर किया गया, जिससे स्पष्ट रूप से साबित है कि खातेदार के रूप में दर्ज अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 5 से 7 के नाम हटाने के लिए ही पत्रावली गायब कराई गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 5 से 7 जो खतौनी जमाबंदी संख्या 2037 से 2056 में खातेदार काश्तकार दर्ज है। उनका नाम बिना सुनवाई व बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के नहीं हटाया जा सकता है। अपीलांट/वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काश्तकारी अधिनियम से पूर्व से ही लगातार शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। यदि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के किसी भी प्रकार के

कोई अधिकार कभी थे तो वे अपीलांट वादीगण के मुखालफाना कब्जे काश्त के कारण समाप्त हो गए। इस कारण दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अंतर्गत अपील निरस्तनीय है। अतः अपीलांट अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें तथा अपीलांट/वादीगण का वाद डिक्री किया जावें। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में 2003 आर0बी0जे0 पेज 205, 2006 (1) आर0एल0डब्ल्यू0 पेज 52, 2008 आर0बी0जे0 पेज 41, आर0आर0टी0 2001 (1) पेज 244, आर0आर0टी0 2004 (1) पेज 250 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए।

5— योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया आराजी खसरा नंबर साबिक 663 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा वाके देवता प्रारंभ में भू—प्रबंध पैमाईश से पूर्व मु0 सल्लाबाई की खातेदारी में थी । वादीगण/अपीलांटस का रिकार्डेड खातेदार सल्लाबाई से क्या संबंध है, अपने वादपत्र में स्पष्ट नहीं किया है । भू—प्रबंध पैमाईश के दौरान वादीगण के नाम पर्चा लगान जारी होने के कारण खातेदार रेस्पो0/प्रतिवादीगण की ओर से की गई आपत्ति पर मिसल नंबर 1267/78 का निर्णय दिनांक 30.05.1983 से किया गया और पुनः पूर्व खातेदार वारिसान का नाम दर्ज किया गया है । संवत् 2034 तक के अभिलेख इंद्राज से उक्त दुरूस्ती कार्यवाही तर्कसंगत एवं कानूनी संगत है । भू—प्रबंध विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के पूर्व इंद्राजों को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है । वादीगण या वादी के मृतक पिता ने विवादित आराजी को कभी भी काश्त नहीं किया है । रेस्पो0/प्रतिवादी श्रीमती सल्लाबाई का कानूनी वारिस होकर विवादित आराजी पर काबिज काश्त है । वादी को विवादित आराजी बाबत् वाद पेश करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिसम्मत् रूप से वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

6— हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया ।

7— पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य खसरा गिरदावरी संवत् 2012 से 2019 के अनुसार उक्त अवधि में खातेदारी ठकुरानी सल्लाबाई वगैरह खुदकाश्त अंकित है । इसी प्रकार प्रदर्श—3 खसरा गिरदावरी संवत् 2012 में

पालाराम की विवादित आराजी खसरा नंबर 663 पर काश्त दर्ज है । संवत् 2013 खसरा गिरदावरी में वादीगण के पिता कन्हैया की काश्त दर्ज है । संवत् 2019 में वादीगण के पिता काना की काश्त दर्ज है । इस प्रकार वादीगण की केवल दो अलग–अलग वषों में ही काश्त दर्ज है । जिससे उनका विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त होना नहीं माना जा सकता है । इसके विपरीत नकल खतौनी संवत् 2031 से 2034 प्रदर्श–ए–1 सल्लाबाई बेवा समरसिंह खातेदार दर्ज है । पर्चा लगान संवत् 2037 से 2056 भंवरलाल वगैरह वादीगण के नाम दर्ज हुआ है । भू–प्रबंध पैमाईश के दौरान वादीगण के नाम पर्चा लगान जारी होने के कारण खातेदार रेस्पो0/प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति किए जाने पर मिसल नंबर 1267/78 का निर्णय दिनांक 30.5.1983 को किया गया और पुनः पूर्व खातेदार वारिसान का नाम दर्ज किया गया है । भू–प्रबंध विभाग को पूर्व इंद्राज को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है । इसके बावजूद भू–प्रबंध विभाग द्वारा पर्चा वादीगण/अपीलांट के नाम जारी किया गया था, जो बिना विधिक अधिकार किये जाने से उसे मिसल संख्या 1267/78 में पारित निर्णय दिनांक 30.05. 1983 द्वारा हटाया जाकर रेस्पो0/प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया गया है । विवादित भूमि भू–प्रबंध पैमाईश से पूर्व मु0 सल्लाबाई की खातेदारी की भूमि थी जिसे वादीगण ने अपने वाद में स्वीकार किया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जिसमें हमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते है । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते है ।

8– उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारीज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–02–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–03–2002 यथावत रखे जाते है।

9— अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य